

2018/00351

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

7

नियंत्रण जो

निवेदन है कि ग्राम रामपुरा की जमाबंदी संवत् 2074, 2075 के खाता संख्या 66 में प्रार्थी का नाम केदार पी गोपाल जाति अमात्र दर्ज है। जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम केदार पी गोपाल जाति अमात्र दर्ज है। अतः उक्त खाते में प्रार्थी का नाम केदार पी गोपाल के बजाय नाम केदार पी गोपाल जाति अमात्र दर्ज किया जाना उचित होगा।

*[Signature]*

11/6/18

84R-32000

राजस्व लोक अदालत अभियान  
"न्याय आपके द्वार-2018"

सुरेश कुमार चौधरी  
पटवारी प. नं. रामपुरा  
तह. अमात्र जिला-भीलवाड़ा  
रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी द्वारा I.L.R. संशोधन स्वीकार योग्य है।

*[Signature]*

तहसीलदार  
फूलियाकलाँ, जिला-भीलवाड़ा

पु.सं. 378/18

राजस्व लोक अदालत अभियान  
"न्याय आपके द्वार-2018" के अंतर्गत सजावटी दिनांक- 12/6/18

हस्त रिपोर्ट तहसीलदार फूलिया कलाँ के ग्राम रामपुरा की जमाबंदी संवत् 2074-2075 के खाता सं. 66 में इस चमर के वहाय वंश दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पाठनाथ तहसीलदार फूलिया कलाँ को भेजा है।



उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर  
फूलिया कलाँ जिला-भीलवाड़ा